NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 94 /NCRES/20 Date : 18.5.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य अभियन्ता
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– हेडक्वाटर स्तर पर दिनांक 25/26.2.2020 के PNM बैठक में लिये गये निर्णयो के कियान्वयन के लिये आदेश जारी किया जाना।

महोदय,

NCRES के साथ सम्पन्न दिनांक 25/26 फरवरी 2020 के PNM बैठक में ईंजी. विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित मदो पर चर्चा के उपरान्त लिये गये निर्णय का मिनट्स भी कार्मिक विभाग ने दिनांक 4.3.2020 को जारी कर दिया है लेकिन बैठक में हुये निर्णयो के कियान्वयन के लिये ईंजी. विभाग द्वारा अभी तक मण्डलो को निर्देश जारी नही किया गया है।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित मदो पर हुये निर्णयों के कियान्वयन के लिये जारी आदेश में NCRES के मद सं0 का जिक कर उसकी प्रति NCRES को दी जाय।

	(1)	(2)	(3)	(4)
क. स.	पी.एन.एम. मद सं0	अधिकारी /विभाग	मद	प्रशासनिक टिप्पणी
1.	9/2014	PCE	JE/SSE(P.Way) को साप्ताहिक विश्राम देने के सम्बन्ध में।	NCRES ने प्रयागराज मंडल में सभी सुपरवाइजर को एक दिन रेस्ट न देकर स्टेगनेटेड रेस्ट शेड्यूल जारी करने का मुद्दा उठाया। मंडल से इसके बारे में जानकारी लेकर उचित कार्यवाही एक महीने के अन्दर कर ली जायेगी।
	NCRES की टिप्पणी – JE/SSE (P.Way) के साप्ताहिक विश्राम का स्टेगनेटेड रेस्ट शेडयूल जारी किया जाय।			

	(1)	(2)	(3)	(4)
2.	12/2016	PCE	इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैकमेन्टेनरो को गेट लाज, गैंग हटो में बिजली पानी न दिया जाना एवं कार्य हेतु वाकी–टाकी न दिया जाना।	वर्तमान कमियों का तीन महीने में सर्वे कराकर उस पर कार्यवाही की जायेगी। सर्वे की रिपोर्ट की प्रति एन.सी.आर.ई.एस. को दी जायेगी।
	NCRES की टिप्पणी – ईंजी. विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के रिपोर्ट की प्रति NCRES को दी जाय।			
3.	28/2016	PCE	रेल सेवा से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के आदेशो के तहत सन् 2013 के रीस्ट्रक्चरिंग एवं ट्रैकमैन कैटेगिरी को तय तिथि से लाभ न मिलने के सम्बन्ध में।	तीनो मंडलो से रिपोर्ट मंगाई जायेगी।
	NCRES की टिप्पणी – मण्डलो से मंगाई गई रिपोर्ट की प्रति NCRES को दी जाय।			
4.	25/5/2018	PCE	NCR में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी चार्टर न लागू होने के सम्बन्ध में।	सभी मंडलो को ट्रैकमैन और आर्टीजन कैटेगिरी की सीनियरिटी लिस्ट एन.सी.आर.ई.एस. को देने के निर्देश दिये जायेगें। मंडलो के सभी आफिस जिनमें महिला कर्मचारी कार्यरत है उनमें महिला शौचालय को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जायेगा। इसकी प्रति एन.सी.आर.ई.एस. को दी जायेगी।
	NCRES की टिप्पणी – ट्रैकमैनो और आर्टीजन कैटेगिरी की सीनियरिटी लिस्ट NCRES को देने व कार्यालयो में महिला शौचालय सुनिश्चित करने के लिये मण्डलो को जारी निर्देश की प्रति NCRES को दी जाय।			
5.	26/5/2018	PCE	विभागीय परीक्षा के लिये Question Bank बनाने हेतु।	हर कैटेगिरी के लिये Question Bank बनाने के लिये आवश्यक निर्देश दिये जायेगें।
	NCRES की टिप्पणी – Question Bank बनाने सम्बन्धी जारी निर्देशो की प्रति NCRES को दी जाय।			
6.	29/5/2018	PCE	इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैकमैन कैडर के प्रमोशन में विसंगति।	मंडलो से आर्टीजन कैटेगिरी की वर्तमान रिक्त पदो की पोजीशन मंगाई जायेगी और उन्हें अति शीघ्र भरने के निर्देश दिये जायेगें।
	NCRES की टिप्पणी – ईंजी. विभाग के आर्टिजन कैटेगिरी में रिक्त पदो को भरने के लिये मण्डलो को जारी आदेश की प्रति NCRES को दी जाय।			

	(1)	(2)	(3)	(4)
7.	19/11/2018	PCE	ट्रैकमैनो के लिये हर गैंग बीट पर भोजन करने, टूल्स रखने हेतु रेस्ट रूम बनाने हेतु।	मुख्यालय इंजी. के पत्रांक 229–डब्लू/2/एन.सी.आर.ई.एस./Pt.IX/Genl दिनांक 26.12.2019 के द्वारा मंडलो से इस सम्बन्ध में मीटिंग में की गई टिप्पणी के अनुसार की गई कार्यवाही एवं वर्तमान स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराने के लिये आदेशित किया गया है।
	NCRES की टिप्पणी – ईंजी. विभाग द्वारा मण्डलो को जारी निर्देश की प्रति और रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 5.2.2018 के अनुसार मण्डलो द्वारा ट्रैकमैनो के रेस्ट करने एवं टूल बाक्स रखने हेतु बनाये गये रेस्ट रूमो के विवरण की प्रति NCRES को दी जाय।			
8.	18/12/2019	PCE	नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के जूनियर ट्रैकमैनो से कीमैन का कार्य लिया जाना परन्तु उसके अनुसार वेतन न दिया जाना।	रेलवे बोर्ड के नियमों का समुचित पालन करने के लिये मंडलो को निर्देशित किया जायेगा।
	NCRES की टिप्पणी – ईंजी. विभाग द्वारा मण्डलो को जारी निर्देश की प्रति NCRES को दी जाय।			

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज